

राजस्थान सरकार वित्त (वित्तीय नियम) विभाग



क्रमांक : प.1(4)वित्त / साविलेनि / 2006

जयपुर, दिनांक : 22.04.25

आदेश

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड—I के भाग—I में संशोधन।

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड—I के भाग—I में निम्न संशोधन करने के आदेश एतद्द्वारा प्रदान करते हैं:—

The existing sub-rule (1) and (2) of Rule 325 of GF&AR Part-I shall be substituted as under:-

Rule 325: Transfer of Government land or buildings to Departments:

- (1) Transfer to or from one Government department to other Government Department. When any land or building is transferred from one department of Government to another, the transfer shall be free of all charges.
 - (a) In case of property (both movable and immovable) of all Government schools which are not in use or defunct due to rationalisation, then the District Collector of concerned district where the said property is situated, can transfer this property to other Government Departments.
 - (b) In case of transfer of property other than above clause (a), then permission of concerned Administrative Department is required.
- (2) When the property is transferred to or from any PSU/Company/Board/University/Local Body/Aided Institute than the allotment of land to and recovery of cost of buildings shall be at the market value.

Note: Market value means as the price which the land etc. would fetch if sold in the open market subject to the ground rent or assessment shown against it in the revenue registers or if not shown in the register, the ground rent or assessment levied at the rate at which ground rent or assessment is actually being levied on similar lands in the neighborhood.

(मनीष माथुर)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :--

- 1. अति.मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल / माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
- 2. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण ।
- 3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
- 4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
- 5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
- 6. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर / संभागीय आयुक्त ।
- 7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव / मुख्य अभियंता, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
- 9. वित्तीय सलाहकार, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
- 10. समस्त कोषाधिकारी ।
- 11. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
- 12. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :--

- 1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
- 2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर ।
- 3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
- 4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
- 5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।

मुख्य लेखाधिकारी

(GF&AR -0 8/2025)